



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 1941-मा०सं०-01 / वि०उ०नि०लि० / 2014-21-मा०सं०-01 / 2007

दिनांक : 30 मई, 2014

### कार्यालय ज्ञाप

प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उत्पादन निगम लि० के नियुक्ति आदेश सं० 41-मा०सं०-01 / वि०उ०नि०लि० / 2013-43-मा०सं०-01 / 2012 दिनांक 04-01-2013 के सन्दर्भ में तथा उसमें वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त अधोलिखित सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षितों) (ई०एण्डएम०) को एतद्वारा कार्यभार ग्रहण की तिथि से स्थानापन्न एवं अस्थाई सहायक अभियन्ता (ई०एण्डएम०) के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सम्बुद्ध स्तम्भ-6 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

### सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षा) इलेक्ट्रिकल

क्र० सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	वर्तमान तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6
1-	18090010	रोहित गुप्ता	ओम प्रकाश गुप्ता	सामान्य वर्ग	ओबरा
2-	18090013	सतीश कुमार शुक्ला	राजें कुमार शुक्ला	सामान्य वर्ग	पारीछा
3-	18090014	अश्वनी कुमार अहिरवार	ख० मातादीन	अनुजाति	पारीछा

### सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षा) मैकेनिकल

क्र० सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	वर्तमान तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6
1-	18100019	सौरभ सिंह	सुरेन्द्र प्रताप सिंह	सामान्य वर्ग	ओबरा
2-	18100037	चेतन प्रकाश	ओम प्रकाश	सामान्य वर्ग	हरदुआगंज

2- उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं पर उत्पादन निगम लि० में प्रचलित तथा भविष्य में समय-समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम, प्रशासनिक आदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कान्ट्रीब्यूटरी प्राप्तिडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित आदेश लागू होंगे। ज्ञातव्य हो कि उत्पादन निगम की सेवाएं पेंशनरी नहीं हैं, अतः सेवानिवृत्ति पर किसी तरह की पेंशन अनुमन्य नहीं है। पूर्व सेवा योजक के अधीन सेवाएं पेंशनरी होने की स्थिति में भी निगम में पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

3- उपरोक्त नियुक्तियों सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य उपयुक्ताता संतोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

क्रमांक : ..... 2/-

4- यह नियुक्तियाँ अस्थायी हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवायें बिना क्रोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उप बन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

5- यदि किसी भी समय चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अथवा शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य कोई प्रमाण-पत्र झूठा/फर्जी पाया जाता है तो सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कामरान रिज़वी  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1941(1)-मा0सं0-01/वि0उ0नि�0लि0/2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (कार्मिक/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि�0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी/तापीय परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि�0लि0, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/कासिमपुर, (अलीगढ़)/पारीछा (झाँसी)/पनकी (कानपुर) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त का0ज्ञा0 की छायाप्रति कराकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को अपने स्तर से हस्तगत कराने का कष्ट करें।
- 4- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 5- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा बाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण/उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9-- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि�0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- सहायक अभियन्ता (डाटा बेस) सम्बद्ध उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0-01), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- अनुभाग अधिकारी (मा0सं0-06), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

  
(प्रकाश चन्द्र अस्थानी)  
अनु सचिव